

पालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

॥३॥ प्रजावली सेवा दुर्घटने। वादी व वादी वकील उपस्थित
 उल्लेखाने वादी व वादी वकील ही बार-बार
 आवाज दिल्याची नाही। आवाज दिल्याने ते वास्तव
 उपायित नही। मिसर्ये जाधर घेतले कि वादी व वादी
 वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नही ले रहे हैं।
 एवं प्रकरण नं. सि.नं. १७-१-२०२० के तलमी की कार्य
 पर नि-वास्तविक चल रही है। उल्लेखाने वादी व वादी
 वकील द्वारा आज किांत तक तलमी हेतु तलमम
 देना नही करतीं ~~प्र~~ वास्तविक आदेश की भविष्य की
 की मी में आता है। अतः प्रकरण नं. १८१/०८
 यावा सौदा बनाम शिल्ली इरुम वपरी व
 मद्रम पैरवी के CPC के ०१२५ के तहत कार्य
 किया जाता है। प्रजावली फॉर्मल शुमार रिकॉर्ड
 नम्बर में रुमती।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)

